

402

## झारखण्ड सरकार

### उद्योग विभाग

पत्रांक 1091 / राँची, दिनांक 31.03.2012  
07/ज०नि०(ए०नि०यो०)-३१/२००८

प्रेषक:

अमरेन्द्र प्रताप सिंह,  
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,  
झारखण्ड, राँची  
प्रबंध निदेशक,  
औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार,  
रियाडा, नामकुम, राँची/विकास भवन, आदित्यपुर/बोकारो/संथाल परगना (दुमका)  
महाप्रबन्धक,  
सभी जिला उद्योग केन्द्र, झारखण्ड।

विषय: राज्य सृजन से पूर्व औद्योगिक इकाइयों को दी गई राशि यथा—औद्योगिक ऋण, बीजधन ऋण एवं सूद मुक्त ऋण के एक मुश्त निपटारा योजना को एक माह दिनांक 01 मई, 2012 से 31 मई 2012 तक के लिए अवधि विस्तार करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग: उद्योग विभाग का संकल्प ज्ञापांक-477 दिनांक 26.02.2011

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में अद्यतन प्राप्त सूचना के अनुसार एक मुश्त निपटारा योजना का लगभग 246 इकाइयों ने लाभ उठाया, जिसमें सबसे ज्यादा सूद मुक्त ऋण में लगभग एक तिहाई इकाइयों ने इस योजना के तहत लाभ उठाया तथा ₹0 189.40 लाख सरकारी राजस्व की प्राप्ति हुई, जो कुल बकाया ₹0 584.206 लाख के विरुद्ध लगभग 32 प्रतिशत है।

विभिन्न औद्योगिक संगठनों/इकाइयों एवं जिलों से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि प्रचार-प्रसार के अभाव में सभी इकाइयों ने इसका लाभ नहीं उठाया है तथा प्रायः इकाइयों ने इसका लाभ उठाने की पुनः इच्छा व्यक्त की है। यह स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई है कि विभिन्न जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धकों द्वारा इस योजना का भरपूर प्रचार-प्रसार पूर्व में नहीं किया गया, जिस कारण लोहरदगा, देवघर एवं गिरिडीह इत्यादि जिले के लोग इसके पूर्ण लाभ से वंचित रहे। इस योजना की सफलता हेतु निम्न निर्देश है :-

- प्रसंगाधीन योजना का आवेदन 01 मई, 2012 से 31 मई, 2012 तक संकल्प की कंडिका-2 एवं 3 के तहत आवेदन-पत्र प्राप्त किये जायेंगे। शेष सभी कंडिका यथावत रहेगी। बकाया की गणना कंडिका 2(ii) एवं v के कम में बकाया की मूल राशि + 30%(P+30%) शेष यथावत रहेगा। यह पूर्व में (P+25%) था।
- उद्योग निदेशक सभी प्राधिकारों के प्रबंध निदेशक/सचिव तथा सभी जिला उद्योग केन्द्रों के महाप्रबन्धकों के साथ एक बैठक अप्रैल, 2012 के प्रथम सप्ताह में आयोजित करेंगे एवं इसके सभी बिन्दुओं से उन्हें अवगत कराकर उन्हें प्रशिक्षित कर देंगे। एक समय-सीमा उद्यमियों के लाभ हेतु प्रचार-प्रसार के लिए निर्धारित की जाय।

(40)

3. सूद मुक्त ऋण के सभी बकायादारों को व्यक्तिगत रूप से सूचना दी जाय तथा समाचार—पत्रों के माध्यम से उद्योग निदेशक ऋणी के नामों को पता के साथ विभिन्न समाचार—पत्रों में प्रकाशित करेंगे। सूद मुक्त ऋण के बकायादारों को पत्र द्वारा भी सूचना दी जायेगी एवं उनकी विभिन्न क्षेत्रों के लिए बैठक बुलाकर इसके लाभ से अवगत कराया जाय ताकि ज्यादा से ज्यादा मामला settle हो। एक बैठक उद्योग निदेशक भी करें।
4. बीजधन ऋण के मामले में कंडिका—3 के अनुरूप कार्रवाई अपेक्षित है। सभी ऋणियों का नाम प्रकाशित कर व्यक्तिगत रूप से उनसे सम्पर्क किया जाय एवं प्रबंध निदेशक, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार एवं महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र प्रत्येक सप्ताह बैठक कर ऋणी को यथा स्कीम से अवगत करायें ताकि सम्बन्धित ऋणी इसका शत—प्रतिशत लाभ प्राप्त कर सकें।
5. उद्योग निदेशक सभी जिलों के लिए बैठक की तिथियाँ तय कर दें एवं राज्य स्तर से भी उन बैठकों में भाग लेने के लिए पदाधिकारी प्रतिनियुक्त करें। यथा संभव अधोहस्ताक्षरी, विशेष सचिव, उद्योग निदेशक, एवं उप सचिव भी प्रमुख केन्द्रों पर, जिसमें ज्यादा बकाया है, वहाँ के आयोजित बैठकों में अवश्य भाग लें। इसका एक कार्यक्रम मेरे हस्ताक्षर से निर्गत किया जाय।
6. औद्योगिक ऋणों खासतौर से, जिनके पास ₹ 10,000 से ज्यादा का ऋण है, उनसे महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र विभिन्न स्त्रोतों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर उन्हें प्रेरित करें। संभव है कि कतिपय उद्यमी की मृत्यु हो चुकी होगी, ऐसे में उनके जो उत्तराधिकारी हैं, उन्हें इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें।
7. इस योजना के तहत जिस जिले की वसूली कुल वर्तमान माँग से 25 प्रतिशत कम रहेगी, वहाँ के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र अथवा प्राधिकार के सचिव के ACR में इसकी प्रविष्टि कर दी जायेगी, क्योंकि इससे यह स्पष्ट होगा की सम्बन्धित पदाधिकारियों ने अपेक्षित रुचि नहीं ली।
8. उद्योग निदेशक समाचार—पत्रों में इसका विज्ञापन अभी से प्रकाशित करना प्रारम्भ कर दें।

अनुलग्नक: प्रसंगाधीन संकल्प की प्रति संलग्न।

विश्वासभाजन  
Ap 30/03/1  
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)  
सरकार के सचिव।

झारखण्ड सरकार  
उद्योग विभाग

संकल्प

**विषय:** राज्य सृजन के पूर्व औद्योगिक इकाइयों को दिए गए विभिन्न प्रकार के ऋण यथा औद्योगिक ऋण, बीजधन ऋण एवं सूदमुक्त ऋण के एक मुश्त निपटारा के संबंध में।

झारखण्ड राज्य का सृजन 15 नवम्बर 2000 को हुआ। राज्य सृजन के पूर्व वर्ष 1990 के पूर्व बिहार सरकार की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को निम्नांकित प्रकार के ऋण विभिन्न अवधि में उपलब्ध कराये गये :—

- i. औद्योगिक ऋण
- ii. बीजधन ऋण एवं
- iii. सूदमुक्त ऋण,

i. औद्योगिक ऋण :— औद्योगिक ऋण छोटे-छोटे उद्योगों की स्थापना यथा – सिलाई मशीन के लिए प्रखण्ड स्तर पर ₹ 0 265.00 प्रति लाभुक दिया जाता था। बाद में इस योजना में परिवर्तन किया गया जिसके आधार पर छोटे उद्योग लगाने एवं प्लांट एवं मशीनरी के क्य हेतु ₹ 0 1000 तथा बाद में ₹ 0 50,000 तक का औद्योगिक ऋण दिया गया।

ii. बीजधन ऋण :— बिहार सरकार की औद्योगिक नीति-1979 के अन्तर्गत प्रारम्भ की गयी थी। बाद में समय-समय पर इसमें संशोधन किया गया तथा औद्योगिक नीति-1981 एवं उसके उपरान्त बिहार औद्योगिक नीति-1986 के अन्तर्गत बीजधन ऋण (Seed money Loan) वैसे उद्यमियों को दिया गया, जिनके द्वारा बैंक ऋण के विरुद्ध प्रोमोटर अंशदान दिया जाना संभव नहीं था। इस ऋण की अधितकम सीमा ₹ 0 1,12,500.00 थी तथा उद्यमियों के द्वारा कम से कम 50 प्रतिशत तक अंशदान दिया जाना था।

ऋण का भुगतान 12 वार्षिक किस्तों में 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर दिया जाना था। समय पर सूद की किस्त के भुगतान पर 3 प्रतिशत की छूट एवं बिलंब के लिए 2 प्रतिशत दण्डनात्मक सूद बकाये के आधार पर देय था।

47-

**iii. सूदमूक्त ऋण** :- उद्योग विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 2829 दिनांक 08.03.1980 के द्वारा उद्योगों की स्थापना एवं विकास के लिए नयी लघु एवं टाईनी औद्योगिक इकाइयों के लिए विकी कर सेट ऑफ करने के पश्चात जमा की गयी राशि को सामने रखकर बिना सूद के ऋण देने की योजना लागू की गयी है। औद्योगिक इकाइयों को 01 अक्टूबर, 1979 या उसके बाद की तिथि से उत्पादन में जाने पर उस इकाई के द्वारा सेट ऑफ करने के बाद दी गयी विकी कर की राशि सूद मुक्त ऋण बिना बंधक के (Unsecured Loan) ऋण के रूप में निम्नांकित रूप से विमुक्त किया गया है।

क्र०	जिलों की श्रेणी	अवधि	अधिकतम सीमा	अधिकतम राशि	वसूली की शर्त
1	2	3	4	5	6
1	गैर पिछड़े जिले	7 वर्ष	अचल सम्पत्ति के व्यय का 50%	लघु उद्योग— सीमा नहीं परन्तु न्यूनतम सीमा रु0 1000। वृहत एवं मध्यम उद्योग — अधिकतम अचल सम्पत्ति का 8% वार्षिक	6वें वर्ष में प्रारम्भ होकर 5 वर्षों में 10 अर्द्धवार्षिक किस्तों में।
2	पिछड़े जिले	10 वर्ष	अचल सम्पत्ति के व्यय का 75%		8वें वर्ष में प्रारम्भ होकर 5 वर्षों में 10 अर्द्धवार्षिक किस्तों में।

उपर्युक्त योजना औद्योगिक नीति-1986 के अन्तर्गत पुनः लागू की गयी जिसमें लघु उद्योगों की अधिसीमा गैर पिछड़े जिलों के लिए रु0 10.00 लाख तथा पिछड़े जिलों के लिए रु0 15.00 लाख निर्धारित की गयी।

इसी प्रकार वृहत एवं मध्यम उद्योगों के लिए 10 प्रतिशत अधिकतम रु0 25.00 लाख गैर पिछड़े जिलों तथा पिछड़े जिलों के लिए यह सीमा रु0 30.00 लाख रूपये निर्धारित की गयी। समय—सीमा के उपरान्त भुगतान किए जाने पर 16 प्रतिशत का दण्ड सूद दिया जाना निर्धारित था।

2. झारखण्ड स्मॉल इण्ड० एसोसिएशन, राँची, लघु उद्योग भारती, राँची एवं अन्य औद्योगिक संघों के द्वारा समय—समय पर ऋण के लंबित मामले के संबंध में एक मुश्त निपटारा योजना लागू किए जाने के क्रम में राज्य सरकार के द्वारा सम्यक विचारोपरान्त पाया गया कि औद्योगिक ऋण प्राप्त करनेवाली अधिकतर टाईनी उद्योग थी, जिनका अस्तित्व भी नहीं है। अतः राज्य के उद्यमियों के लिए निम्नांकित रूप से एक मुश्त निपटारा योजना लागू करने पर संलेख झापांक 165 दिनांक 20.01.2011 दिनांक 15.02.2011 को मद सं0-03 के रूप में राज्य मंत्रिपरिषद के द्वारा निम्न निर्णय लिया गया :—

- यह एक मुश्त निपटारा योजना झारखण्ड राज्य के गठन से पूर्व यानी दिनांक 14.11.2000 तक ऋण प्राप्त किया गया हो उन उद्योगों पर लागू होगी।
- इस योजना के अन्तर्गत बकाये की मूल राशि + 25%(P+25% of P) ली जाएगी। मूल राशि का अर्थ मूल बकाया राशि होगी, जिसका सत्यापन स्थानीय कार्यालय के द्वारा किया

A/-

जाएगा। यह दायित्व स्थानीय कार्यालय – महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के प्रबंध निदेशक का होगा।

- iii. एक मुश्त निपटारा योजना से संबंधित अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से दो माह तक संबंधित कार्यालयों यथा – औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अथवा जिला उद्योग केन्द्र में आवेदन पत्र समर्पित किया जा सकेगा।
- iv. संबंधित कार्यालयों के प्रधान यथा प्रबंध निदेशक, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र से आवेदन प्राप्त कर राशि के समायोजन की गणना कर ऋण का Settlement करेंगे। प्राप्त आवेदन का निष्पादन सामान्यतः 60 दिन में किया जाएगा। निष्पादन का तात्पर्य पूर्ण वसूली से है। कंडिका (ii) के अनुरूप गणना की गयी पूर्ण राशि की वसूली अनिवार्य है।
- v. संबंधित आवेदक इकाई के द्वारा आवेदन के साथ 50 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी तथा आवेदन देने के अधिकतम दो माह के भीतर शेष 50 प्रतिशत की राशि जमा करनी होगी। विशिष्ट कारण से समय–सीमा के अन्दर राशि जमा नहीं करने पर अधिकतम एक माह का grace period जो आवेदन देने के 90 दिन (कंडिका-iv का 60 दिन+grace 30 दिन) तक सीमा का होगा, लागू होगा। grace period में 5% अधिक सूद ( $P+30\%$ ) देय होगा। भविष्य में विभागीय मंत्री द्वारा अतिरिक्त एक माह का अवधि विस्तार होने पर भी 5% अतिरिक्त सूद/माह विस्तारित अवधि हेतु कंडिका-ii के अतिरिक्त देय होगी।
- vi. राशि मात्र Demand Draft से प्राप्त किया जाएगा, चेक अथवा नकद राशि नहीं ली जाएगी।
- vii. संबंधित कार्यालय भी अपने स्तर से सभी संबंधित औद्योगिक ऋणियों को योजना की जानकारी देंगे।
- viii. एक मुश्त निपटारा योजना के अन्तर्गत जो उद्यमी Settlement नहीं करेंगे, उनकी वसूली हेतु वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कुर्की जब्ती भी की जाएगी।
- ix. यदि उक्त ऋण की वसूली हेतु कोई केस ऋणी के विरुद्ध न्यायालय में दाखिल कर दी गयी है, ऋण वापसी के उपरान्त उक्त वाद को यथाशीघ्र प्रबंध निदेशक, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा वापस ले लिया जाएगा। पूर्ण राशि वसूली के 30 दिन के अन्दर वापसी आवेदन दायर कर, वापसी आदेश प्राप्त किया जाएगा। पूर्ण राशि जमा कर चुके उद्यमी को कोई वैधानिक असुविधा न हो।

—  
A/P

3. एक मुश्त निपटारा योजना के उपर्युक्त प्रस्ताव की समर्थ-सीमा का अवधि विस्तार एक बार एक माह अतिरिक्त तक किए जाने का अधिकार माननीय विभागीय मंत्री के पास होगा।
4. यह संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी माना जाएगा तथा संबंधित कार्यालय यथा जिला उद्योग केन्द्र/प्राधिकार का यह दायित्व होगा कि ऋणी को तुरंत सूचना देकर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे तथा कृत कार्रवाई की सूचना विभाग को देंगे।
5. इस प्रस्ताव पर वित्त एवं विधि विभाग की सहमति प्राप्त है।

**आदेश:** :एतद् द्वारा आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का विस्तृत प्रचार-प्रसार करते हुए इसकी प्रति झारखण्ड गजट के विशेष अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसे सभी विभागों/विभागाध्यक्षों और अधीनस्थ पदाधिकारियों के बीच परिचालित की जाय।

**झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से**

**हो/-**

सरकार के सचिव

उद्योग विभाग

**ज्ञापांक** / राँची, दिनांक

7/उनिप(एनियो)-31/2008

**प्रतिलिपि:** अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि संकल्प की 200 (दो सौ) प्रतियां यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

**हो/-**

सरकार के सचिव

**ज्ञापांक** ५३७ / राँची, दिनांक 26.02.2011

7/उनिप(एनियो)-31/2008

**प्रतिलिपि:** माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/वित्त सचिव, झारखण्ड, राँची/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, विधि विभाग, झारखण्ड, राँची/उद्योग निदेशक, झारखण्ड, राँची/प्रबंध निदेशक, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, आदित्यपुर/राँची/बोकारो एवं दुमका/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, झारखण्ड/अध्यक्ष, चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, सरायकेला-खरसांवां/अध्यक्ष, झारखण्ड स्मॉल इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, कोकर, राँची/अध्यक्ष, झारखण्ड स्मॉल टाइनी इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, चास, बोकारो/अध्यक्ष, सिंहभूम चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, विष्टुपुर, जमशेदपुर/अध्यक्ष, संथाल परगना स्मॉल इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, जूनबांध, देवघर/अध्यक्ष, झारखण्ड स्मॉल टाइनी सर्विस एण्ड बिजनेश इन्टरप्राईजेज एसोसिएशन चास, बोकारो/अध्यक्ष, फेडरेशन चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, कडरु डायवर्सन, मेन रोड, राँची/अध्यक्ष, झारखण्ड इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, बोकारो स्टील सिटी/अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती, बिरसा नगर, हटिया स्टेशन रोड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Ap  
26/02/11  
सरकार के सचिव